Continuation Note Sheet

10-1-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस हेतु समय चाहा। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में बहस समाहित की जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण को प्रकरण में बहस समाहित किये जाने हेतु दिनांक 12.10.2023 से अवसर दिये जा चुके हैं। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस समाहित नहीं करने पर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. में अभिलिखित कथनों का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में जो वंशावली दशाई है उसमें मृतक पुत्र लालचन्द की धर्मपत्नि बिमलादेवी का नाम प्रार्थीगण ने जानबूझ कर अंकित नही किया है जबकि बिमलादेवी आवश्यक कानूनी पक्षकार है इस प्रकार से पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर प्रार्थना पत्र मय दावा काबिले खारिज है। वास्तव में प्रार्थीगण के दादा रूपराम द्वारा अपनी स्वयं की आय से बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट की कृषि भूमि में अपने कब्जा काश्त के रकबा की समस्त किश्ते राज खजाने में जरिये चालान सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के उपरान्त नियमानुसार भूमि आवंटन पश्चात खातेदारी दर्ज है इसलिए उक्त सम्पत्ति उनकी स्वयंअर्जित सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीगण के दादा रूपराम द्वारा अपनी स्वयं की आय से बाबा मुवाशीनाथ ट्रस्ट की कृषि भूमि में अपने कब्जा काश्त के रकबा की समस्त किश्ते राज खजानें में जरिये चालान सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के उपरान्त माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन की जाकर खातेदारी प्रदान की है इस प्रकार से भूमि पैत्रिक न होकर स्वयंअर्जित सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। रूपराम के वृद्वावस्था हो जाने के कारण बीमार रहने लग गए तथा बिना सहारा चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे उनकी देखभाल सार सम्भाल अप्रार्थीगण ने ही की थी तथा प्रार्थीगण ने कभी भी उनकी सार सम्भाल नहीं की थी हमारे दादा ने रूपराम ने हमारी सेवा सुश्रुषा प्रसन्न होकर अपनी स्वेच्छा से बरोबरू गवाहान के अपने पोते अप्रार्थी सं. 1 नरेशकुमार पुत्र श्री लालचन्द के पक्ष में अपनी स्वयंअर्जित कृषि भूमि चक 4 एम. एल. के मुरबा नं. 6 1 के किला नं. 3,4,7,8,14,17,24की 7–00 बीघा नही रकबा की वसीयत निष्पादन कर उप पंजीयक श्रीगंगानगर में पंजीबद्ध करवाई थी। उक्त वसीयतानुसार नरेश कुमार नामान्तकरण प्रकरण न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्व अवसर देकर नियमानुसार दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिनांक 02.09.2022को पारित किया हालांकि उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थीगण ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर में निगरानी भी प्रस्तुत करना बताया है वसीयत में अंकित रकबा स्वयंअर्जित है कानूनन रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत निस्प्रभावी एवं शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक चेलेन्ज नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का वसीयत में अंकित रकबा पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रही है बल्कि इस रकबा की वसीयत निष्पादन से पूर्व से लेकर कब्जा हमारा लगातार चला आ रहा है आज भी मौके पर हमारी फसल काश्त की हुई है वसीयत प्रकरण सुनवाई के दौरान हलका पटवारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 में भी कब्जा वसीयतग्रहिता का अंकित है इस प्रकार से वसीयत में अंकित रकबा को छोड़कर शेष भूमि में से प्रार्थीगण 1/4, 1/4 हिस्सा के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त कर सकते है समस्त रकबा के सम्बन्ध में अनुतोष नहीं प्राप्त कर सकते है। प्रार्थीगण क्लीन हेण्ड से ... है इसी आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। वास्तव में ... रूपराम ने अपने पूर्ण हासे हवास से बरोबरू गवाहान ... के पक्ष में उप पंजीयक श्रीगंगानगर में पंजीबद्व वसीयत करवाई ... सम्बन्ध में न्याया. तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर में सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण हाजिर आये थे जिन्हें ... का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय दिनांक 02.09.... को पारित हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य अंकित कर बिना वाद कारण हासिल किए दावा प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari.
Date: 2024.04.27 10:15:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Continuation Note Sheet

द्वारा न्यायिक दृष्टान्त – 2018-19 (Supp.) RRT 174, [Citation :2022(2) DNJ (Rev.) 966, [Citation :2022(2) DNJ (Rev.) 972, 2021(2) RRT 817 2021(2) RRT 820, 2022(2) RRT 807, 2022(2) RRT 810 पेश किये गये।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 04.12.2019 में अप्रार्थी संख्या 1 को दी गई भूमि 7 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा है। पत्रावली में संलग्न पंजीकृत वसीयतनामा दिनांकित 04.12.2019 का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वसीयतनामा विधिवत् रूप से पंजीबद्ध है। कानूनन रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है तथा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को निस्प्रभावी एवं शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय से प्रार्थीगण अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्वीकार कर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.09.2022 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner